IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 214 OF 2024

IN THE MATTER OF:

News item titled "Map and Save Water Bodies" appearing in Civil Society Magazine May 2023 issue

INDEX

S.NO	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE MEMBER SECRETARY, UTTAR PRADESH STATE WETLAND AUTHORITY, LUCKNOW	1 - 7
2.	**ANNEXURE-1** Report of the Sub-divisional Magistrate, Payagpur, District Bahraich (Letter No. 532/आ.ल./NGT/Inquiry Report/2024 dated 06-05-2024), including inspection findings and khasra land classification.	8 - 30
3.	**ANNEXURE-2** Govt. order no.730/14-4-2018-06/2018 dated 29.05.2018 specifying the responsibilities of the District Wetland Committee.	31-32
4.	**ANNEXURE-3** Office Memorandum No. 1171/81-4-2024 dated 14-10-2024 regarding constitution of Village Wetland Committees at Gram Panchayat level with assigned responsibilities.	33-35
5.	**ANNEXURE-4** Summary of roles and functions of the State Wetland Authority (SWA).	36
6.	**ANNEXURE-5** Land-use and land-cover (LULC) map of Tal Baghel.	37-38

7.	**ANNEXURE-6** Integrated Management Plan (IMP) for Baghel Tal Wetland (2024–2029) prepared by Divisional Forest Officer, Shrawasti Forest Division, submitted under NPCA scheme.	39

THROUGH

Priyanka...

Date:
Place: New Delhi

PRIYANKA SWAMI
ADVOCATE
COUNSEL FOR STATE, UTTAR PRADESH
F-13, JANGPURA, NEW DELHI 110014
E-mail:advpriyankaswami@gmail.com

IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 214 OF 2024

IN THE MATTER OF:

News item titled "Map and Save Water Bodies" appearing in Civil Society Magazine May 2023 issue

AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE MEMBER SECRETARY, UTTAR PRADESH STATE WETLAND AUTHORITY, LUCKNOW

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

1. That the Hon'ble National Green Tribunal has passed an Order dated 08.04.2025 in the matter of Original Application No.214/2024 News item titled "Map and Save Water Bodies" appearing in Civil Society Magazine May 2023 issue". The Executive part of the order is as follows-

   2. Shri Neeraj Kumar, Member Secretary, Wetland Authority UP has appeared virtually. He is directed to file his affidavit within four weeks in respect to the steps taken to protect and rejuvenate Baghel Tal in particular and the wetlands in Tarai region in general. He is also directed to disclose the details of the encroached area of Baghel Tal and the nature of constructions on the catchment area of the Tal. The Respondent-UP PCB 2 is also directed to file sample analysis report disclosing water quality of the Baghel Tal. Let the same be filed within four weeks.

   3. List on 12.08.2025.

2. That in compliance with the Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017, notified under the Environment (Protection) Act, 1986, the State of Uttar Pradesh has constituted the Uttar Pradesh State Wetland Authority (hereinafter referred to as "the Authority"), which is functioning under the administrative control of the Department of Environment, Forests and Climate Change, Government of Uttar Pradesh. The said Authority is chaired by the Hon'ble Minister (Independent Charge), Environment, Forests and Climate Change, Uttar Pradesh and comprises senior officials from departments such as Revenue, Urban Development, Rural Development, Irrigation, Fisheries, Tourism and the Uttar Pradesh Pollution Control Board,

SWORN & VERIFIED BEFORE ME
Rajendra Prasad
Advocate NOTARY
Govt. of India

in addition to subject matter experts in the fields of ecology and wetland conservation. The Authority has been entrusted with statutory functions including identification and notification of wetlands, preparation and approval of Integrated Wetland Management Plans (IWMPs), and regulation of prohibited activities within notified wetlands as per Rule 4 of the Wetlands Rules, 2017.

3. That the present report is being filed in compliance of the directions issued by this Hon'ble Tribunal in the above-captioned matter. That the matter pertains to the preservation, protection, and demarcation of Baghel Tal Wetland, located in District Bahraich, Uttar Pradesh.

4. That Baghel Tal Wetland lies in District Bahraich, Uttar Pradesh, and spans 1383.13 ha as recorded in the National Wetland Atlas, 2010. Remote-sensing analysis using IRS Resourcesat-2A LISS-IV and Cartosat-3 (pre-monsoon March, 2024 and post-monsoon October, 2024) shows a seasonal hydrology in which the water-spread area contracts to 392.90 ha during the Pre-monsoon month and expands to 979.80 ha after the monsoon, with a contributing catchment of 935.42 ha. The wetland supports local fisheries, moderates floods, recharges groundwater and sustains the agrarian Terai landscape.

5. That acting on earlier directions of the Hon'ble Tribunal, the **District Magistrate, Bahraich** ordered a joint revenue–forestry inspection and GPS-based boundary demarcation. The exercise, recorded in Letter No. 532/आ.ल./NGT/Inquiry Report/2024 dated 06-05-2024, reconciled every *khasra* entry with ground reality. The "Area under water" column below reflects parcels permanently notified as Category 6(1) (water-logged), the "Pond Baghel" column lists parcels leased to the Fisheries Department, and the third column aggregates tenure-holder and miscellaneous plots lying in the broader depression. The inspection confirmed that Gata Nos. 4498, 473, 482 and 7829-m carry only a kutcha pathway and scattered watch-platforms: no residential colony exists, and barring those strips the Category 6(1) belt is encroachment-free. Permanent RCC pillars have been erected under the supervision of Revenue Department. Copy of the Report of the Sub-Divisional Magistrate, Payagpur, District Bahraich (Letter No. 532/आ.ल./NGT/Inquiry Report/2024 dated 06-05-2024), including inspection findings and khasra land classification is annexed herewith as **ANNEXURE-1.** Summary of the broad category wise land details, as given by the revenue department, is shown below.

NOTARY

SWORN & VERIFIED BEFORE ME

Rajendra Prasad
Advocate & NOTARY
Govt. of India
Regd. NR/2021/4147

Area under water (ha)	"Pond Baghel" managed by Fisheries Dept. (ha)	Tenure-holder & other land (ha)	Total (ha)
121.774	441.558	1 153.5099	1 716.8419

6. That by Government Order No. 730/14-4-2018-06/2018, every district in the state of Uttar Pradesh now functions through a **District Wetland Committee** chaired by the District Magistrate, entrusted with surveying wetlands, supervising demarcation, preparing Integrated Management Plans (IMPs) and coordinating enforcement. Copy of the Govt. order addressed to all the District Magistrate specifying the responsibilities of the District Wetland Committee is annexed herewith as **ANNEXURE-2.**

7. That on the recommendation of the U.P. State Wetland Authority the State Government issued **Office Memorandum No. 1171/81-4-2024 dated 14-10-2024**, creating a **Village Wetland Committee for every Gram Panchayat**. Each committee, under the monitoring of the District Magistrate in his capacity as Chairman, District Wetland Committee, must: (a) conserve wetlands within the Gram Panchayat; (b) draw up plans to enhance ecosystem functions such as water storage, groundwater recharge and flood buffering, and to safeguard recreational and cultural values on the principle of wise use; and (c) mobilise finances by dovetailing such plans into the Gram Panchayat Development Plan (GPDP). Thus, site-specific conservation planning and execution now rest with village-level bodies answerable to the District Magistrate. Copy of the Office Memorandum No. 1171/81-4-2024 dated 14-10-2024 regarding constitution of Village Wetland Committees at Gram Panchayat level with assigned responsibilities is annexed herewith as **ANNEXURE-3.**

8. That at the State tier the **State Wetland Authority (SWA)**, constituted under the Wetlands Rules 2017, frames policy, vets Brief Documents and IMPs, monitors compliance and acts as the liaison between districts and the Government; it **does not execute pond-restoration works.** Summary of roles and functions of the State Wetland Authority (SWA) and including mention of technical support and monitoring is annexed herewith as **ANNEXURE-4.**

SWORN & VERIFIED BEFORE ME
Rajendra Prasad
Advocate & NOTARY
Govt. of India
Regd. NR/2021/4124

9. That the hydrological foot-print of Baghel Tal and its catchment is depicted below, highlighting the marked seasonal enlargement of the water-spread area.

S. No.	Description	Area (ha)
1	Water-spread area (pre-monsoon)	392.90
2	Water-spread area (post-monsoon)	979.80
3	Catchment area	935.42
	Total	**2 308.14**

10. That analysis of land-use and land-cover (LULC) of the water spread area, both post-monsoon and pre-monsoon, shows negligible built-up fraction in both seasons, with open water dominating throughout the year. The catchment area map showing contour lines and land-use and land-cover (LULC) map of Tal Baghel is annexed herewith as **ANNEXURE-5.**

Season	Land-use category	Area (ha)	Area (%)
Pre-monsoon	Built-up area (Road)	0.01	0.001
	Water body	392.89	99.999
	Total	**392.90**	**100**
Post-monsoon	Agriculture	101.34	11.96
	Fallow land	1.16	0.12
	Built-up (Road & fish ponds)	6.19	0.63
	Vegetation cover	1.88	0.19
	Water body	847.61	86.51
	Total	**979.80**	**99.45**

11. That the LULC of the catchment area confirms that built-up surfaces occupy only 2.40 %, with agriculture dominating.

Land-use category	Area (ha)	Area (%)
Agriculture	866.91	92.68
Built-up (Road & rural settlement)	22.49	2.40
Vegetation cover	7.50	0.80
Water body	38.52	4.12
Total	**935.42**	**100**

12. That an **Integrated Management Plan (2024-25 to 2028-29)** for Baghel Tal has been prepared by the Divisional Forest Officer, Shrawasti Forest Division, and forwarded to the MoEF&CC under the National Plan for Conservation of Aquatic Eco-systems; approval is awaited. Copy of the Integrated Management Plan (IMP) for Baghel Tal Wetland (2024–2029) prepared by Divisional Forest Officer, Shrawasti Forest Division, submitted under NPCA scheme is annexed herewith as **ANNEXURE-6.**

13. That Baghel Tal's boundaries, on the basis of Revenue records, have been demarcated by fixing boundary pillars. Ground-level conservation responsibility has been devolved to Village Wetland Committees supervised by the District Magistrate, while SWA continues to provide policy and technical oversight.

SWORN & VERIFIED BEFORE ME

Rajendra Prasad
Advocate & NOTARY
Govt. of India
Regd. NR/2021/41247

14. That in furtherance of these functions, and as an important step towards wetland conservation, a state-wide campaign was launched for ground-truthing of wetlands identified in the Wetland Atlas. Subsequently a drive to demarcate the above wetlands was launched in the state. Whereas the ground truthing work has been completed in district Bahraich and all other district of tarai region, the boundary demarcation work is at various stages of completion.

NOTARY
RAJENDRA PRASAD
GOVT. OF INDIA

SWORN & VERIFIED
BEFORE ME
Rajendra Prasad
Advocate & NOTARY
Govt. of India
Regd. NR/2021/41247

IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 214 OF 2024

IN THE MATTER OF:

News item titled "Map and Save Water Bodies" appearing in Civil Society Magazine May 2023 issue

AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE MEMBER SECRETARY, UTTAR PRADESH STATE WETLAND AUTHORITY, LUCKNOW

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

I, SH. NEERAJ KUMAR aged about 55 year's S/o Sh. Upendra Kumar is presently posted as MEMBER-SECRETARY, UTTAR PRADESH STATE WETLAND AUTHORITY, having an office at LUCKNOW.

1. That I am posted as stated above and well conversant with the facts of the present case and as such competent to swear this affidavit before this Tribunal.
2. That the accompanying application has been drafted by our counsel upon my instructions
3. That the contents of the accompanying reply are true and correct and the knowledge has been derived from official records and nothing material has been concealed there from.

SWORN & VERIFIED BEFORE ME

Rajendra Prasad
Advocate & NOTARY
Govt. of India
Regd. NR/2021/41247

DEPONENT

VERIFICATION

Verified on solemn affirmation at New Delhi on this _____ day of 2025, that the contents of the foregoing affidavit are true and correct to the best of my knowledge and no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom

DEPONENT

NOTARY RAJENDRA PRASAD GOVT. OF INDIA

SWORN & VERIFIED BEFORE ME

Rajendra Prasad
Advocate & NOTARY
Govt. of India
Regd. NR/2021/41247

I identified the deponent who has put signature/T.I. before me

ANNEXURE(1)
(8)

संलग्नक - 2

कार्यालय उपजिलाधिकारी, पयागपुर जपनद–बहराइच।

पत्रांकः 532/आ0लि0/एन0जी0टी0/जॉच आख्या/2024 दिनांकः 06 मई,2024

प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य संयोजक
जिला वेटलैण्ड संरक्षण समिति,
जनपद–बहराइच।

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय के पत्र संख्या 5279/29–4(ओ0ए0सं0–214/2024) बहराइच दिनांक 20 अप्रैल, 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके माध्यम से राजस्व अभिलेखो में ग्राम तालाब बघेलताल के कुल भू–भाग के क्षेत्रफल एवं उस पर किये गये अतिक्रमण के सम्बन्ध में आख्या चाही गयी है। उक्त के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या 524/रा0लि0/राजस्व टीम गठित/2024 दिनांक 26 अप्रैल, 2024 के द्वारा ग्राम तालाब बघेल के पैमाइश व अतिक्रमण के सम्बन्ध में जॉच हेतु तहसीलदार, पयागपुर के अध्यक्षता में नायब तहसीलदार पयागपुर, नायब तहसीलदार विशेश्वरगंज, राजस्व निरीक्षक पयागपुर, लेखपाल श्री कमलेश शुक्ला, लेखपाल श्री मिथलेश कुमार व क्षेत्रीय लेखपाल श्री शैलेन्द्र कुमार वर्मा की सात सदस्यीय राजस्व टीम का गठन किया गया। इसके अतिरिक्त दिनांक 30.04.2024 को उक्त बघेलताल का स्थलीय निरीक्षण प्रभागीय वनाधिकारी बहराइच व प्रभागीय वनाधिकारी श्रावस्ती के साथ अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया। तहसीलदार पयागपुर द्वारा बघेलताल की पैमाइश कर अपनी आख्या दिनांक 06.05.2024 को अधोहस्ताक्षरी के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार पयागपुर की जॉच आख्या दिनांक 06.05.2024 के अनुसार ग्राम तालाब बघेल परगना बहराइच तहसील पयागपुर में स्थित 'पानी' एवं 'तालाब बघेलताल मत्स्य विभाग/उ0प्र0 सरकार के प्रबन्धाधीन' के नाम से खतौनी में अंकित गाटो का अभिलेखीय व स्थलीय निरीक्षण किया गया। राजस्व टीम के द्वारा निरीक्षण के समय पाया गया कि ग्राम तालाब बघेल की खतौनी/अधिकार अभिलेख में तन्हा व संयुक्त सहखातेदारी के रूप में कुल 75 गाटे क्षेत्रफल 121.774 हे0 भूमि "पानी" व कुल 40 गाटे क्षेत्रफल 441.558 हे0 भूमि "तालाब बघेलताल मत्स्य विभाग उ0प्र0 सरकार के प्रबन्धाधीन श्रेणी 6(1) अकृषिक भूमि – जलमग्न भूमि" के रूप में अंकित अभिलेख है। उक्त गाटों में अधिकतर गाटे मिनजुमला गाटो के रूप में खतौनी में अंकित है, परन्तु राजस्व भू–चित्र में अलग–अलग विभाजन न होने के कारण मिनजुमला गाटो से पानी, तालाब व खातेदारों की भूमि सहित अन्य श्रेणियों में अंकित भूमि का स्थल पर भौतिक रूप से पृथक–पृथक गाटावार विभाजन नही किया जा सकता है। ग्राम तालाब बघेल के कुछ गाटे मिनजुमला होने के कारण खातेदारों द्वारा अपने अंश की धृत भूमि पर जो फसल चक्र के अनुसार कृषि कार्य किया जा रहा है एंव फसल की रखवाली हेतु अपने खेतो में अस्थायी रूप से कही–कही फूस का मचान/छप्पर बनाया गया है, जबकि उन्ही गाटो में पानी एवं तालाब के रूप में अंकित भू–भाग का क्षेत्रफल अतिक्रमण मुक्त है। सत्यापन के समय पाया गया कि बड़े गाटे प्राकृतिक रूप से 12 महीने जल प्लावित रहते है जबकि तालाब व पानी के कुछ गाटे बरसात के मौसम में जल भराव से प्रभावित रहते है एंव ग्रीष्म ऋतु में बरसात का जल सूख जाने के कारण शुष्क व दलदल के रूप में परिवर्तित हो जाते है। गाटा संख्या 449घ/0.400हे0, 473/0.140हे0, 482/0.120हे0 व 782घ मि0/0.290हे0 ग्राम तालाब बघेल की खतौनी में पानी के खाते में अंकित है, पर वर्तमान में सड़क/रास्ता निर्मित है। मिनजुमला गाटो में तालाब, पानी व खातेदारों की भूमि सहित अन्य श्रेणी की भूमि का

विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है। ग्राम तालाब बघेल के राजस्व भूचित्र की लघुतर छायाप्रति संलग्न कर "पानी" व "तालाब बघेल ताल मत्स्य विभाग उ0प्र0 सरकार के प्रबन्धाधीन श्रेणी 6(1) अकृषिक भूमि–जलमग्न भूमि" के तन्हा नम्बरान व मिनजुमला नम्बारान को भूचित्र में पृथक–पृथक रंग से दर्शित किया गया है। पानी व तालाब बघेलताल मत्स्य विभाग के तन्हा गाटो को **"धानी"** रंग से व मिनजुमला गाटो को **"आसमानी"** रंग से दर्शित किया गया है।

तहसीलदार पयागपुर की जांच आख्या दिनांक 06.05.2024 से स्पष्ट है कि ग्राम तालाब बघेल की खतौनी में अंकित गाटा संख्या 449घ / 0.400हे0, 473 / 0.140हे0, 482 / 0.120हे0 व 782घ मि0 / 0.290हे0 पर वर्तमान में सड़क / रास्ता निर्मित है एवं आवागमन हेतु प्रयोग किया जाता है। ग्राम तालाब बघेल के कुछ गाटो में पानी, तालाब व खातेदार संयुक्त रूप से अंकित अभिलेख होने कारण खातेदारो द्वारा अपने अंश की भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है तथा खातेदारों द्वारा अपने फसल की रखवाली हेतु अपने खेतो में अस्थायी रूप से कही–कही फूस का मचान / छप्पर बनाया गया है। उक्त गाटो पर किसी भी प्रकार की आवासीय कॉलोनी का निर्माण नही है न ही कोई ग्रामवासी उक्त भूमि पर आवासित है। गाटा संख्या 449घ / 0.400हे0, 473 / 0.140हे0, 482 / 0.120हे0 व 782घ मि0 / 0.290हे0 के अतिक्ति "पानी" व "तालाब बघेल मत्स्य विभाग उ0प्र0 सरकार के प्रबन्धाधीन श्रेणी 6(1) अकृषिक भूमि–जलमग्न भूमि" वर्तमान में अतिक्रमण मुक्त है।

अतः आख्या सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्नक–तहसीलदार पयागपुर की जॉच आख्या मय नजरी नक्शा
(कुल 16 पन्ने)

06/05/2024

(दिनेश कुमार)
उपजिलाधिकारी
पयागपुर।

NOTARY

(10)

कार्यालय तहसीलदार, पयागपुर जपनद–बहराइच।

पत्रांकः 414 रा0लि0 / एन0जी0टी0 / जॉच आख्या / 2024 दिनांकः 07 मई,2024

उपजिलाधिकारी,
पयागपुर।

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय के पत्र संख्या 524 / रा0लि0 / राजस्व टीम गठित / 2024 दिनांक 26 अप्रैल, 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके माध्यम से कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी बहराइच वन प्रभाग बहराइच के पत्र संख्या 5279 / 29–4(ओ0ए0सं0–214 / 2024) बहराइच दिनांक 20 अप्रैल, 2024 द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0सं0–214 / 2024 लिविल सोसईटी मैगजीन में प्रकाशित शीर्षक " Map and save water Bodies" में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 11 / 03 / 2024 के सम्बन्ध में राजस्व अभिलेखो में ग्राम तालाब बघेलताल के कुल भूभाग के क्षेत्रफल एवं उस पर किये गये अतिक्रमण के सम्बन्ध में राजस्व टीम गठित करके सम्पूर्ण पैमाइश कर जॉच आख्या प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के क्रम में राजस्व टीम द्वारा ग्राम तालाब बघेल परगना बहराइच तहसील पयागपुर में स्थित 'पानी' एवं 'तालाब बघेलताल मत्स्य विभाग / उ0प्र0 सरकार के प्रबन्धाधीन' के नाम से खतौनी में अंकित गाटो का अभिलेखीय व स्थलीय निरीक्षण किया गया। राजस्व टीम के द्वारा निरीक्षण के समय पाया गया कि ग्राम तालाब बघेल की खतौनी / अधिकार अभिलेख में तन्हा व संयुक्त सहखातेदारी के रूप में कुल 75 गाटे क्षेत्रफल 121.774 हे0 भूमि "पानी" व कुल 40 गाटे क्षेत्रफल 441.558 हे0 भूमि "तालाब बघेलताल मत्स्य विभाग उ0प्र0 सरकार के प्रबन्धाधीन श्रेणी 6(1) अकृषिक भूमि – जलमग्न भूमि" के रूप में अंकित अभिलेख है। उक्त गाटों में अधिकतर गाटे मिनजुमला गाटो के रूप में खतौनी में अंकित है, परन्तु राजस्व भू–चित्र में अलग–अलग विभाजन न होने के कारण मिनजुमला गाटो से पानी, तालाब व खातेदारों की भूमि सहित अन्य श्रेणियों में अंकित भूमि का स्थल पर भौतिक रूप से पृथक–पृथक गाटावार विभाजन नही किया जा सकता है। ग्राम तालाब बघेल के कुछ गाटे मिनजुमला होने के कारण खातेदारों द्वारा अपने अंश की धृत भूमि पर ही फसल चक्र के अनुसार कृषि कार्य किया जा रहा है एंव फसल की रखवाली हेतु अपने खेतो में अस्थायी रूप से कही–कही फूस का मचान / छप्पर बनाया गया है, जबकि उन्ही गाटों में पानी एंव तालाब के रूप में अंकित भू–भाग का क्षेत्रफल अतिक्रमण मुक्त है। सत्यापन के समय पाया गया कि बड़े गाटे प्राकृतिक रूप से 12 महीने जल प्लावित रहते है जबकि तालाब व पानी के कुछ गाटे बरसात के मौसम में जल भराव से प्रभावित रहते है एंव ग्रीष्म ऋतु में बरसात का जल सूख जाने के कारण शुष्क व दलदल के रूप में परिवर्तित हो जाते है। गाटा संख्या 449घ / 0.400हे0, 473 / 0.140हे0, 482 / 0.120हे0 व 782घ मि0 / 0.290हे0 ग्राम तालाब बघेल की खतौनी में पानी के खाते में अंकित है, पर वर्तमान में सड़क / रास्ता निर्मित है। मिनजुमला गाटो में तालाब, पानी व खातेदारों की भूमि सहित अन्य श्रेणी की भूमि का

विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है। ग्राम तालाब बघेल के राजस्व भूचित्र की लघुतर छायाप्रति संलग्न कर "पानी" व "तालाब बघेल ताल मत्स्य विभाग उ0प्र0 सरकार के प्रबन्धाधीन श्रेणी 6(1) अकृषिक भूमि–जलमग्न भूमि" के तन्हा नम्बरान व मिनजुमला नम्बरान को भूचित्र में पृथक–पृथक रंग से दर्शित किया गया है। पानी व तालाब बघेलताल मत्स्य विभाग के तन्हा गाटो को **"धानी"** रंग से व मिनजुमला गाटो को **"आसमानी"** रंग से दर्शित किया गया है।

उक्त जांच से स्पष्ट है कि ग्राम तालाब बघेल की खतौनी में अंकित गाटा संख्या 449घ / 0.400हे0, 473 / 0.140हे0, 482 / 0.120हे0 व 782घ मि0 / 0.290हे0 पर वर्तमान में सड़क / रास्ता निर्मित है एवं आवागमन हेतु प्रयोग किया जाता है। ग्राम तालाब बघेल के कुछ गाटो में पानी, तालाब व खातेदार संयुक्त रूप से अंकित अभिलेख होने कारण खातेदारो द्वारा अपने अंश की भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है तथा खातेदारों द्वारा अपने फसल की रखवाली हेतु अपने खेतो में अस्थायी रूप से कही–कही फूस का मचान / छप्पर बनाया गया है। उक्त गाटो पर किसी भी प्रकार की आवासीय कॉलोनी का निर्माण नही है न ही कोई ग्रामवासी उक्त भूमि पर आवासित है। गाटा संख्या 449घ / 0.400हे0, 473 / 0.140हे0, 482 / 0.120हे0 व 782घ मि0 / 0.290हे0 के अतिक्ति "पानी" व "तालाब बघेल मत्स्य विभाग उ0प्र0 सरकार के प्रबन्धाधीन श्रेणी 6(1) अकृषिक भूमि–जलमग्न भूमि" वर्तमान में अतिक्रमण मुक्त है।

अतः आख्या सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्न–यथोक्त।

लेखपाल	लेखपाल 6/5/24	लेखपाल 06.05.24	राजस्व निरीक्षक पयागपुर 6-5-024

06.05.24 नायब तहसीलदार पयागपुर	06/05/24 नायब तहसीलदार विशेश्वरगंज	6/05/2024 तहसीलदार पयागपुर

ग्राम तालाब बघेल में अवस्थित तालाब, पानी व खातेदारों की भूमियों सहित अन्य अन्य श्रेणी की भूमियों का गाटावार विवरण

ग्राम- तालाब बघेल, तहसील- पयागपुर, परगना – बहराइच, जिला- बहराइच

क्रम संख्या	गाटा संख्या	पानी के क्षेत्रफल (हे०)	तालाब बघेल ताल मत्स्य विभाग का क्षेत्रफल (हे०)	खातेदारों व अन्य श्रेणी की भूमियों का क्षेत्रफल (हे०)	स्तम्भ 3+4+5 का योग (हे०)	भूचित्र की शीट संख्या	प्रदिष्ट रंग	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07	08	09
1	184	0.085	–	0.0350	0.120	1	आसमानी	रिक्त
2	189	0.060	–	0.480	0.540	1		रिक्त
3	246	0.010	–	0.640	0.650	2		रिक्त
4	247	0.010	–	0.320	0.330	2		रिक्त
5	248	0.055	–	0.595	0.650	2		रिक्त
6	249	0.010	–	0.330	0.340	1 व 2		रिक्त
7	250	0.020	–	0.130	0.150	1		रिक्त
8	276	0.470	–	0.810	1.280	2		रिक्त
9	279	0.072	–	0.098	0.170	2		रिक्त
10	280	0.085	–	0.505	0.590	2		रिक्त
11	341	0.540	–	0.180	0.720	2		रिक्त
12	345	0.045	–	0.295	0.340	2		रिक्त
13	351	0.230	–	0.040	0.270	2		रिक्त
14	355	0.100	–	–	0.100	2	धानी	रिक्त
15	356	0.170	–	–	0.170	2		रिक्त
16	357	0.260	–	–	0.260	2		रिक्त
17	369	0.060	–	0.050	0.110	2	आसमानी	रिक्त
18	381	0.110	–	–	0.110	2	धानी	रिक्त
19	382	0.120	–	–	0.120	2		रिक्त
कुल योग	—	—	—	—	—	—	—	

NOTARY
RAJENDRA PRASAD
GOVT. OF INDIA

P.T.O

ग्राम तालाब बघेल में अवस्थित तालाब, पानी व खातेदारों की भूमियों सहित अन्य अन्य श्रेणी की भूमियों का गाटावार विवरण

ग्राम- तालाब बघेल, तहसील- पयागपुर, परगना – बहराइच, जिला- बहराइच

क्रम संख्या	गाटा संख्या	पानी के क्षेत्रफल (हे०)	तालाब बघेल ताल मत्स्य विभाग का क्षेत्रफल (हे०)	खातेदारों व अन्य श्रेणी की भूमियों का क्षेत्रफल (हे०)	स्तम्भ 3+4+5 का योग (हे०)	भूचित्र की शीट संख्या	प्रदिष्ट रंग	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07	08	09
20	383	0.130	—	—	0.130	2	धानी	रिक्त
21	426	0.200	—	0.545	0.745	2	आसमानी	रिक्त
22	434	0.080	—	0.210	0.290	2		रिक्त
23	437	0.025	—	6.915	6.940	2		रिक्त
24	439	4.000	—	7.970	11.970	2		रिक्त
25	440	2.690	—	61.626	64.316	2		रिक्त
26	441	0.090	—	0.895	0.985	2		पक्की सड़क
27	449	0.400	—	0.200	0.600	2		रास्ता
28	473	0.140	—	—	0.140	2	धानी	रिक्त
29	482	0.120	—	—	0.120	2		रास्ता
30	483	0.357	—	1.112	1.469	2	आसमानी	रिक्त
31	504	15.980	—	108.2252	124.2052	2		रिक्त
32	505	0.780	—	96.688	97.468	1		रिक्त
33	667	0.170	—	0.720	0.890	8		रिक्त
34	668	0.455	—	2.094	2.549	8		रिक्त
35	679	0.150	—	—	0.150	8	धानी	रिक्त
36	692	0.110	—	0.840	0.950	8	आसमानी	रिक्त
37	693	14.265	—	47.800	62.065	8		रिक्त
38	694	16.290	—	41.705	57.995	8		रिक्त
कुल योग	—	—	—	—	—	—	—	—

P.T.O

ग्राम तालाब बघेल में अवस्थित तालाब, पानी व खातेदारों की भूमियों सहित अन्य अन्य श्रेणी की भूमियों का गाटावार विवरण

ग्राम- तालाब बघेल, तहसील- पयागपुर, परगना – बहराइच, जिला- बहराइच

क्रम संख्या	गाटा संख्या	पानी के क्षेत्रफल (हे०)	तालाब बघेल ताल मत्स्य विभाग का क्षेत्रफल (हे०)	खातेदारों व अन्य श्रेणी की भूमियों का क्षेत्रफल (हे०)	स्तम्भ 3+4+5 का योग (हे०)	भूचित्र की शीट संख्या	प्रदिष्ट रंग	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07	08	09
39	695	15.500	2.300	32.391	50.191	8	आसमानी	रिक्त
40	716	0.250	—	3.600	3.850	8		रिक्त
41	717	0.200	34.600	13.200	48.000	7		रिक्त
42	718	10.055	18.000	30.600	58.655	7		रिक्त
43	719	5.240	17.210	19.600	42.050	7		रिक्त
44	720	1.500	17.210	22.693	41.403	7		रिक्त
45	721	3.00	36.990	21.00	60.990	7		रिक्त
46	722	10.00	36.500	1.500	48.000	7		रिक्त
47	723	0.450	—	0.960	1.410	7		रिक्त
48	782	0.290	—	0.510	0.800	7		रास्ता
49	784	0.190	—	1.010	1.2000	7		रिक्त
50	787	1.000	—	1.430	2.430	7		रिक्त
51	795	0.250	—	1.550	1.8000	7		रिक्त
52	798	0.350	—	1.410	1.760	7		रिक्त
53	800	0.500	—	1.830	2.330	7		रिक्त
54	818	0.040	—	12.655	12.695	6		रिक्त
55	819	—	19.050	2.950	22.000	6		रिक्त
56	820	—	18.100	5.900	24.000	6		रिक्त
57	821	2.500	3.810	22.290	28.600	6		रिक्त
कुल योग	—	—	—	—	—	—	—	—

P.T.O

ग्राम तालाब बघेल में अवस्थित तालाब, पानी व खातेदारों की भूमियों सहित अन्य अन्य श्रेणी की भूमियों का गाटावार विवरण

ग्राम- तालाब बघेल, तहसील- पयागपुर, परगना – बहराइच, जिला- बहराइच

क्रम संख्या	गाटा संख्या	पानी के क्षेत्रफल (हे०)	तालाब बघेल ताल मत्स्य विभाग का क्षेत्रफल (हे०)	खातेदारों व अन्य श्रेणी की भूमियों का क्षेत्रफल (हे०)	स्तम्भ 3+4+5 का योग (हे०)	भूचित्र की शीट संख्या	प्रदिष्ट रंग	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07	08	09
58	857	1.620	—	—	1.620	6	धानी	रिक्त
59	869	0.160	—	4.310	4.470	6	आसमानी	रिक्त
60	876	0.490	6.080	17.863	24.433	5		रिक्त
61	877	5.750	10.000	12.728	28.478	6		रिक्त
62	878	—	22.500	1.500	24.000	6		रिक्त
63	889	0.070	12.720	8.726	21.516	3		रिक्त
64	881	—	20.000	—	20.000	3	धानी	रिक्त
65	880	—	14.770	1–699	16.469	4		रिक्त
66	882	—	24.350	0.650	25.000	3		रिक्त
67	883	—	24.290	0.710	25.000	3		रिक्त
68	884		20.000	—	20,000	3	धानी	रिक्त
69	885		4.440	15.600	20.040	3		रिक्त
70	886	—	21.130	3.870	25.000	3		रिक्त
71	888	0.170	20.150	0.740	21.060	3		रिक्त
72	890	0.800	0.205	418.831	419.836	3		रिक्त
73	891	0.655	—	18.5097	19.1647	3		रिक्त
74	892	—	1.015	12.164	13.179	3		रिक्त
75	887	—	25.000	—	25.000	3	धानी	रिक्त
76	893	0–100	—	20.724	20.824	3		रिक्त
कुल योग	—	—	—	—	—	—	—	—

P.T.O

ग्राम तालाब बघेल में अवस्थित तालाब, पानी व खातेदारों की भूमियों सहित अन्य अन्य श्रेणी की भूमियों का गाटावार विवरण

ग्राम- तालाब बघेल, तहसील- पयागपुर, परगना – बहराइच, जिला- बहराइच

क्रम संख्या	गाटा संख्या	पानी के क्षेत्रफल (हे०)	तालाब बघेल ताल मत्स्य विभाग का क्षेत्रफल (हे०)	खातेदारों व अन्य श्रेणी की भूमियों का क्षेत्रफल (हे०)	स्तम्भ 3+4+5 का योग (हे०)	भूचित्र की शीट संख्या	प्रदिष्ट रंग	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07	08	09
77	895	0·110	–	12·590	12·700	2	आसमानी	
78	894	0·150	0-750	15-716	16·616	3		
79	993	–	5·450	0-160	5·610	3		
80	1036	0·100	—	0·340	0·440	3		
81	1058	–	0·450	0·830	1·280	3		
82	1059	–	0·023	0·072	0·095	3		
83	1062	–	0·080	0·970	1·050	3		
84	1203	–	0·065	0·190	0·255	3		
85	1204	[illegible]	0·220	0·222	0·442	3		
86	1247	–	0·080	0·600	0·680	4		
87	1248	–	0·520	0·400	0·920	4		
88	1249	–	0·880	1·280	2·160	4		
89	1250	–	1-100	0·380	1·480	4		वृक्ष रिक्त
90	1301	–	0·820	—	0·820	5	[illegible]	
91	1302	0·070	0·700	–	0·770	5		
92	1554	0·100	–	0·030	0·130	5		टीला रिक्त
93	1566	0·180	–	0·040	0·220	5		
94	1556	0·200	–	0·120	0·320	5		
95	569	0·730	–	–	0·730	1	धानी	
कुल योग	—	—	—	—	—	—	—	

P.T.O

(हस्ताक्षर)

ग्राम तालाब बघेल में अवस्थित तालाब, पानी व खातेदारों की भूमियों सहित अन्य अन्य श्रेणी की भूमियों का गाटावार विवरण

ग्राम- तालाब बघेल, तहसील- पयागपुर, परगना – बहराइच, जिला- बहराइच

क्रम संख्या	गाटा संख्या	पानी के क्षेत्रफल (हे०)	तालाब बघेल ताल मत्स्य विभाग का क्षेत्रफल (हे०)	खातेदारों व अन्य श्रेणी की भूमियों का क्षेत्रफल (हे०)	स्तम्भ 3+4+5 का योग (हे०)	भूचित्र की शीट संख्या	प्रदिष्ट रंग	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07	08	09
96	696	0.660	—	1.813	1.873	२	आसमानी	नाला
योग	—	121.774	441.558	1153.5099	1716.8419	—	—	—

06.05.24
क्षे. तालाब बघेल

NOTARY
RAJENDRA P...
GOVT. OF INDIA

(18)

उद्धरण खतौनी (शासकीय)

तहसील पयागपुर
गोपनीय अनुभाग

उद्धरण क्रमांक : 17205620240514

ग्राम क्रमांक : 172056 ग्राम का नाम / परगना : द्वीतव बघेल(बहराइच) तहसील : पयागपुर जनपद : बहराइच फसली वर्ष : 1429-1434 (01 जुलाई, 2021 से 30 जून, 2027) भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 6-1 / अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि ।							
01051	पानी / /		184क	0.0850			
			189घ	0.0600			
			246ग	0.0100			
			247ख	0.0100			
			248ध	0.0550			
			249ख	0.0100			
			250ख	0.0200			
			276ख	0.4700			
			279ख	0.0720			
			280ख	0.0850			
			341ग	0.5400			
			345ग	0.0450			
			351क	0.2300			
			355	0.1000			
			356	0.1700			
			357	0.2600			
			369क	0.0600			
			381	0.1100			
			382	0.1200			

NOTARY RAJENDRA PRASAD Notary, Ach. Regn. NR/2021/A-2 GOVT. OF INDIA

(19)

383	0.1300
426ख	0.2000
434घ	0.0800
437त	0.0250
439घ मि.	4.0000
440घु	2.6900
441ङ	0.0900
449घ	0.4000
473	0.1400
482	0.1200
483ग	0.3570
504झ़ मि.	15.9800
505ठ	0.7800
667ग	0.1700
668झ	0.4550
679	0.1500
692ख	0.1100
693गू	10.2650
693ग/1	4.0000
694ख मि.	16.2900
695ब	15.5000
716ज	0.2500
717ख	0.2000
718य	10.0550
719घ	5.2400
720थ	1.5000
721घ	3.0000
722ख	10.0000
723घ	0.4500
782घ मि.	0.2900
784ग	0.1900

NOTARY RAJENDRA PRASAD GOVT. OF INDIA

तहसील पयागपुर गुप्त अनुभाग जनपद-बहराइच

(20)

787ख	1.0000			
795ख	0.2500			
798ख	0.3500			
800ख	0.5000			
818छ	0.0400			
821ड मि.	2.5000			
857क	1.6200			
869क	0.1600			
876ढ मि.	0.4900			
877च	5.7500			
889ड	0.0700			
890का	0.3950			
891ख मि.	0.6550			
893ढा	0.1000			
894न	0.1500			
895प	0.1100			
1036घ	0.1000			
1554ग	0.1000			
1555क	0.1800			
1556क	0.2000			
1302घ	0.0700			
569	0.7300			
696क	0.0600			
890कि मि.	0.4050			
888घ मि.	0.1700			
75	121.7740	₹ 0.00	0	0

कुल गाटे- सात पाँच　　कुल क्षेत्रफल- एक दो एक दशमलव सात सात चार शून्य (हेक्टेयर)　　कुल भू-राजस्व - शून्य दशमलव शून्य शून्य रुपये

Data Digitally Signed by: Ram Lakhan Verma

सक्षम अधिकारी: SANJEEV KUMAR SRIVASTAV
तहसील: पयागपुर **जनपद:** बहराइच
दिनांक एवं समय: 06-05-2024 06 13 46

उपरोक्त उद्दरण खतौनी का वेरीफिकेशन http upbhulekh gov in Website पर जाकर किया जा सकता है।

यह उद्दरण खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

NOTARY RAJENDRA PRASAD GOVT. OF INDIA

(21)

उद्धरण खतौनी (असंक्रमणीय)

उद्धरण क्रमांक : 17205620240513

ग्राम क्रमांक : 172056 ग्राम का नाम / परगना : तालाब बघेल(बहराइच) तहसील : पयागपुर जनपद : बहराइच फसली वर्ष : 1429-1434 (01 जुलाई, 2021 से 30 जून, 2027) भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 6-1 / अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि ।							
01049	तालाब बघेलताल मत्स्य विभाग / उ0प्र0सरकार के प्रबन्धाधीन /		695फ	2.3000			
			717क	34.6000			
			718न	18.0000			
			719फ	17.2100			
			720त	17.2100			
			721क	36.9900			
			722क	36.5000			
			819च	19.0500			
			820ख	18.1000			
			821घ मि.	3.8100			
			876च	6.0800			
			877छ	10.0000			
			878क	22.5000			
			889क मि.	8.3350			
			880क	14.7700			
			881	20.0000			
			882ख	24.3500			
			883क	24.2900			
			884	20.0000			

NOTARY RAJENDRA ... GOVT. OF INDIA

(22)

			885ढ मि.	4.4400			
			886च	21.1300			
			887	25.0000			
			888ग	20.1500			
			889ठ	4.3850			
			890स मि.	0.2050			
			892द	1.0150			
			993ङं	5.4500			
			894घ	0.7500			
			1058घ	0.4500			
			1059घ मि.	0.0230			
			1062ग	0.0800			
			1203ख	0.0650			
			1204ग	0.2200			
			1247ख	0.0800			
			1248ख	0.5200			
			1249ग	0.3400			
			1250घ	1.1000			
			1301	0.8200			
			1302	0.7000			
			1249ख	0.5400			
			40	441.5580	0.00	0	0

कुल गाटे- चार शून्य कुल क्षेत्रफल- चार चार एक दशमलव पाँच पाँच आठ शून्य (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - शून्य दशमलव शून्य शून्य रुपये

Data Digitally Signed by: Ram Lakhan Verma

सक्षम अधिकारी: SANJEEV KUMAR SRIVASTAV
तहसील: पयागपुर **जनपद:** बहराइच
दिनांक एवं समय: 06-05-2024 06:12:25
यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

उपरोक्त उद्धरण खतौनी का वेरीफिकेशन http://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर किया जा सकता है।

NOTARY RAJENDRA PRASAD GOVT. OF INDIA

तहसील पयागपुर भूलेख आशुलिपिक

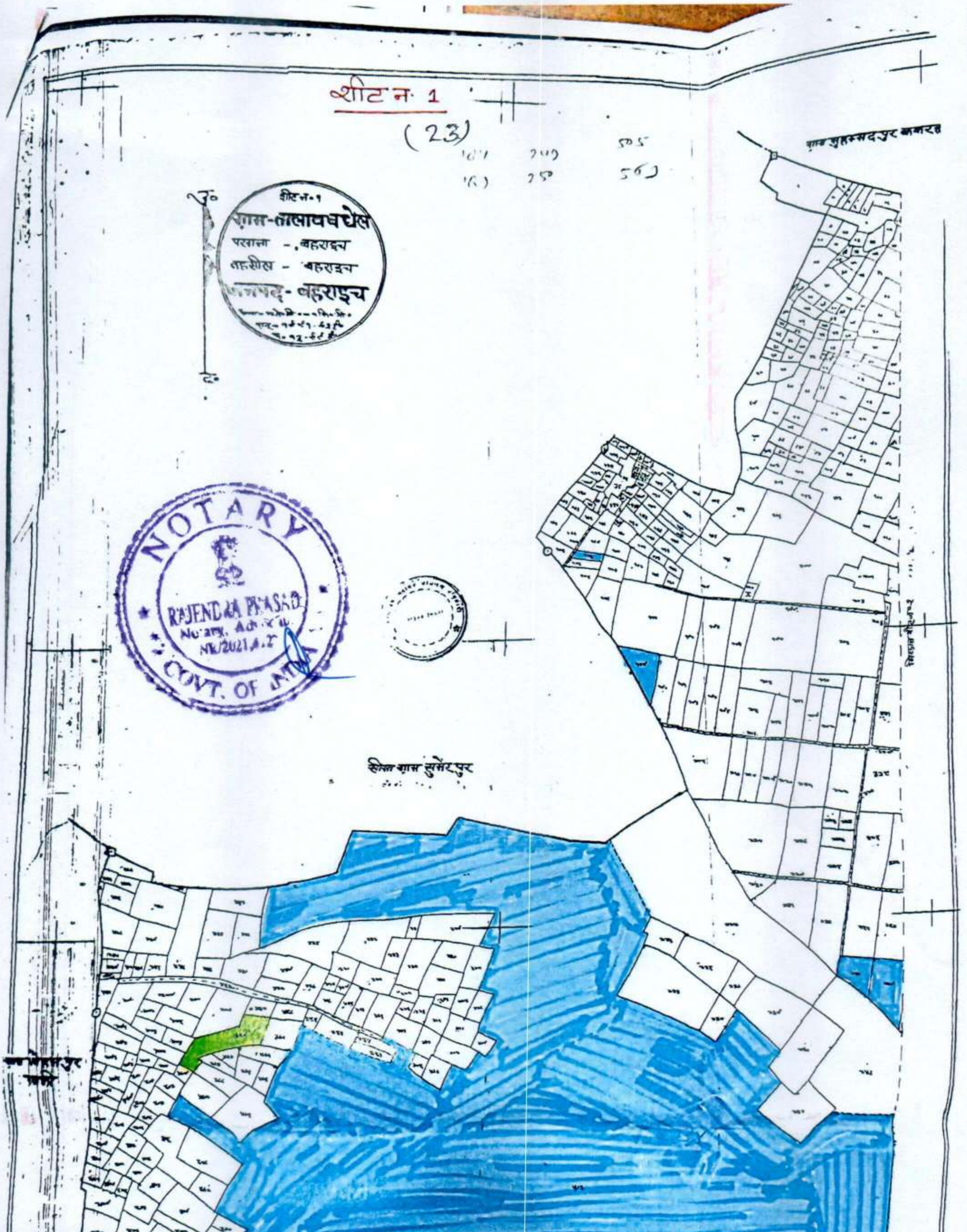

अनुरेखक
मुख्य अनुरेखक
सर्वे कानूनगो
सर्वे नायब तहसीलदार
सहायक अभिलेख अधिकारी

शीट नं. 2
सीमा ग्राम मुहम्मद पुर ककरहा
उ.
द.
ग्राम - तालाव बघेल
परगना - बहराइच
तहसील - बहराइच
जनपद - बहराइच
सीमा ग्राम हीरोखियाँ गाँज
895
मुख्य अनुरेखक
सर्वे कानूनगो
सर्वे नायब तहसीलदार
सहायक अभिलेख अधिकारी
NOTARY
RAJENDRA
GOVT. OF INDIA

(25)

शीट न० 3
सीमा ग्राम कला तरहर
जनपद-बहराइच
889
881
1036
1058
1059
1062
1203
1204
891
892
893
894
अनुरेखक
मुख्य अनुरेखक
सर्वेकानूनगो
सर्वेनायबतहसीलदार
सहायकअभिलेखअधिकारी

163

(25)

शीट नं० 4

अनुरेखक

मुख्य अनुरेखक

सर्वे कानूनगो

सर्वे नायब तहसीलदार

सहायक अभिलेख अधिकारी

NOTARY

GOVT. OF

06.05.24

ग्रा० तालाब बघेल

(27)

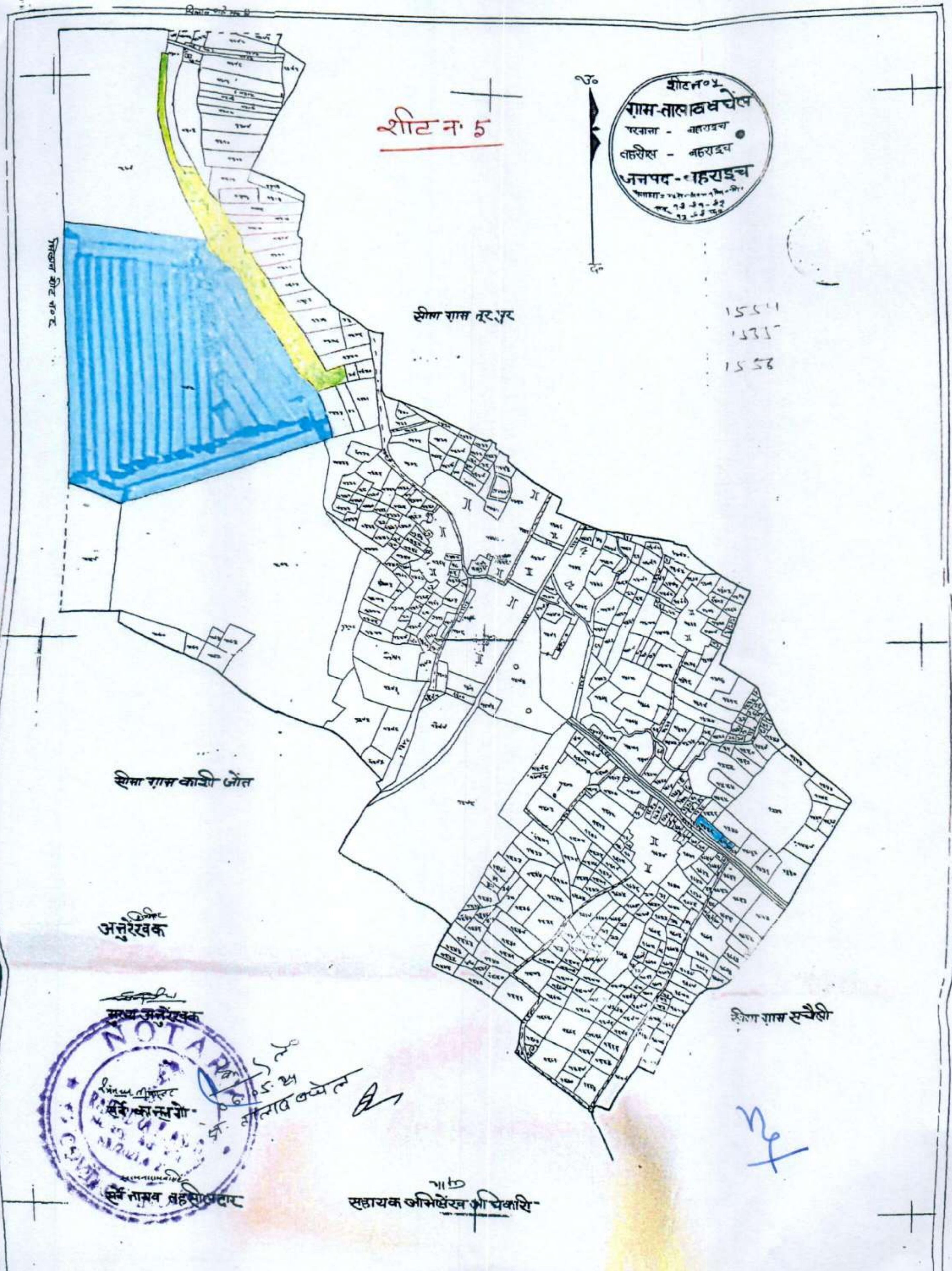

शीट नं. 5
शीट नं० ५
ग्राम-तालाबधचेल
परगना - बहराइच
तहसील - बहराइच
जनपद - बहराइच
सीमा ग्राम नूरपुर
सीमा ग्राम काज़ी जोत
सीमा ग्राम सचैरी
अनुरेखक
मुख्य अनुरेखक
सर्वे कानूनगो
सर्वे नायब तहसीलदार
सहायक अभिलेख अधिकारी
NOTARY

शीट नं० ८
ग्राम -तालावघेल
परगना - बहराइच
तहसील - बहराइच
जनपद - बहराइच
सीमा ग्राम भरात पुरवा
सीमा ग्राम काशी लोन
अनुरेखक
मुख्य अनुरेखक
सर्वे कानूनगो
सर्वे नायब तहसीलदार
सहायक अभिलेख अधिकारी
NOTARY
GOVT. OF INDIA

(29)

शीट नं॰ 7

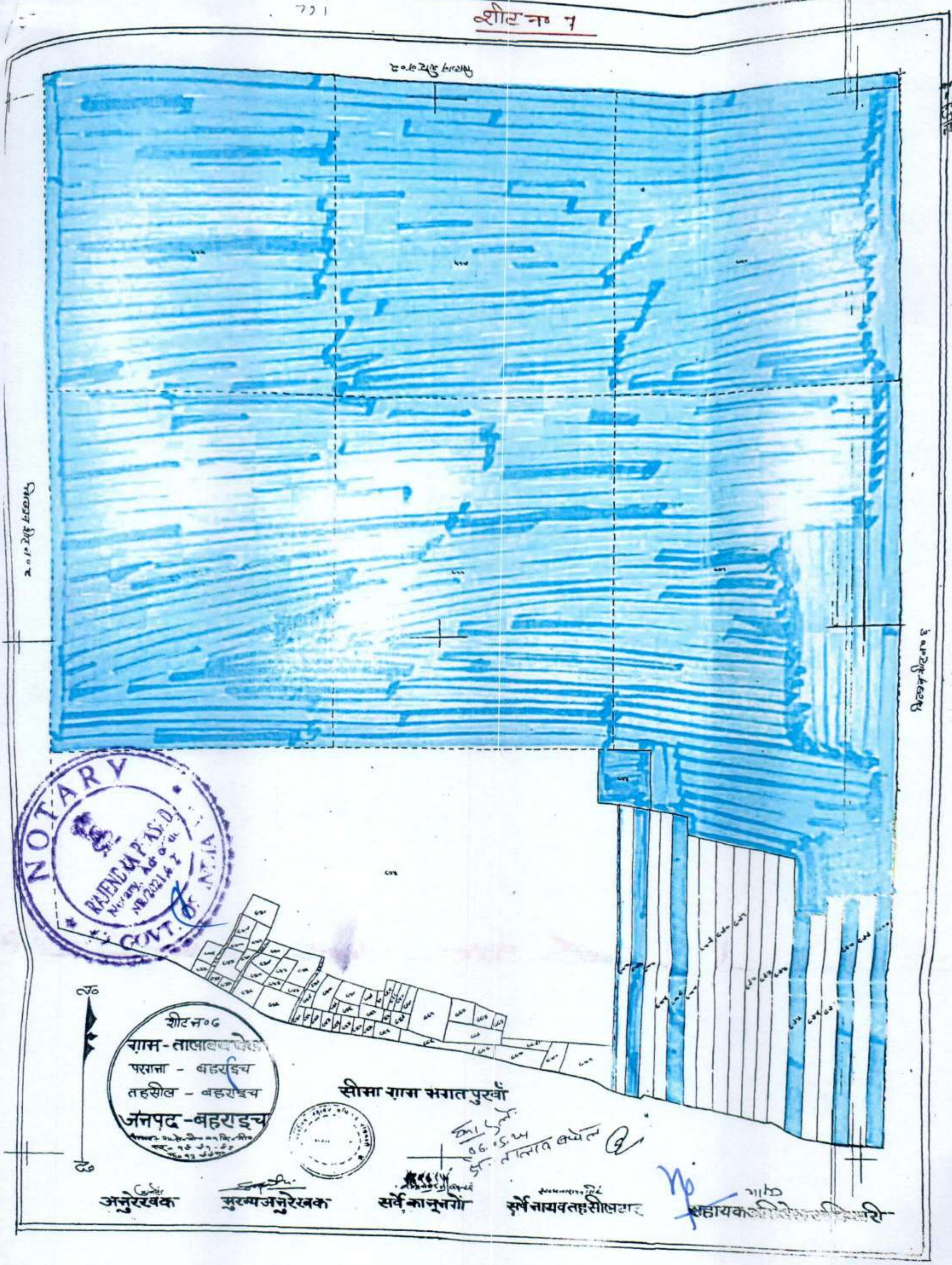
शीट नं॰ 6
परगना - बहराइच
तहसील - बहराइच
जनपद - बहराइच
सीमा ग्राम भगत पुरवाँ
अनुरेखक
मुख्य अनुरेखक
सर्वे कानूनगो
सर्वे नायब तहसीलदार
NOTARY
GOVT. OF INDIA

(30)

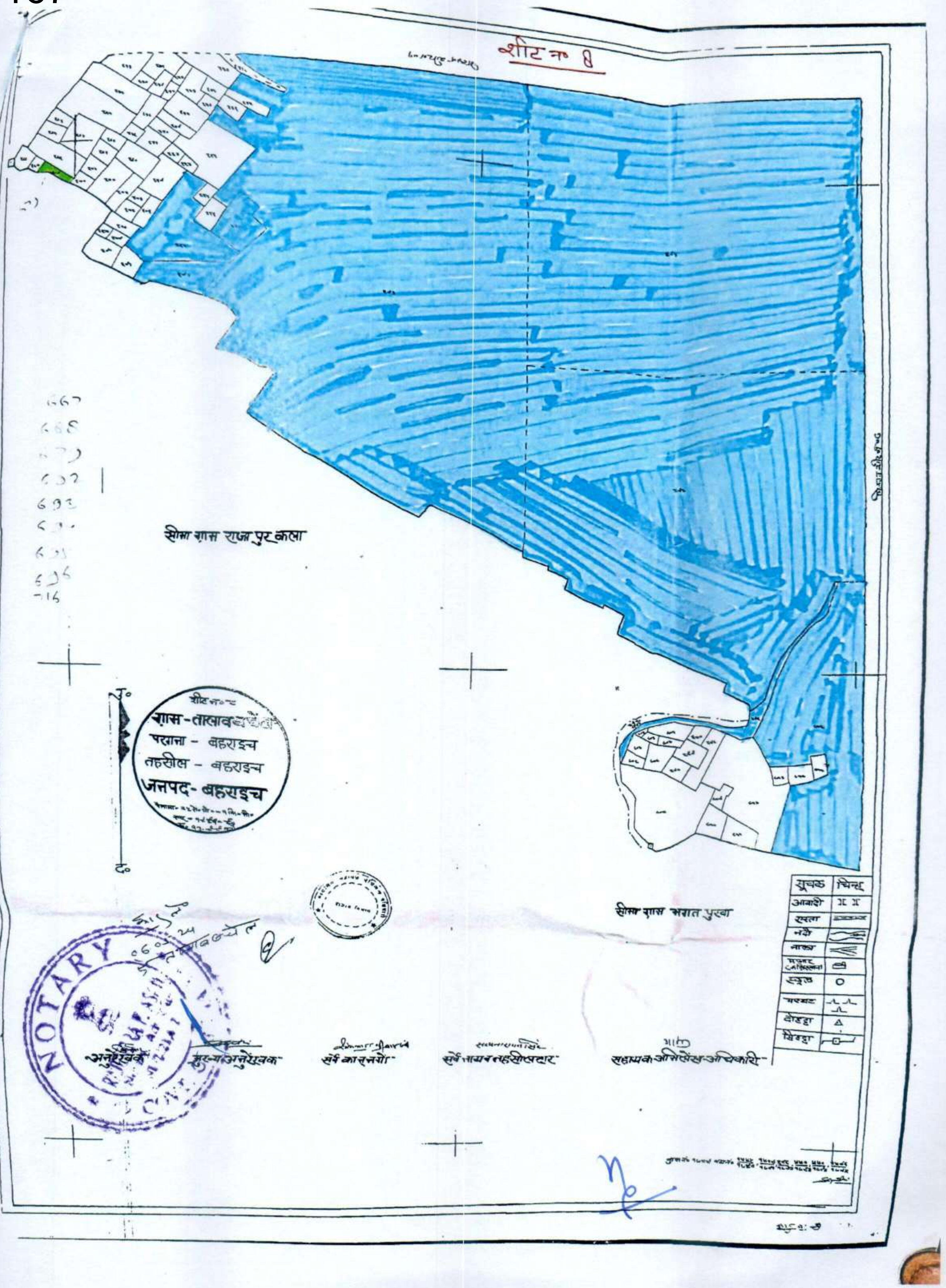
शीट न० 8
सीमा ग्राम राजा पुर कला
ग्राम - तालाव
परगना - बहराइच
तहसील - बहराइच
जनपद - बहराइच
सीमा ग्राम भगात पुरवा
सूचक
चिन्ह
आबादी
रस्ता
नदी
नाला
स्कूल
दोहद्दा
सिहद्दा
अनुरेखक
मुख्य अनुरेखक
सर्वे कानूनगो
सर्वे नायब तहसीलदार
सहायक अभिलेख अधिकारी
NOTARY

ANNEXURE - 2

(31)

शीर्ष प्राथमिकता

संख्या- 730/14-4-2018-06/2018

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-4, लखनऊ दिनांक-29 मई, 2018

विषयः-- उ0प्र0 राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण द्वारा जिला स्तरीय वेटलैण्ड समिति को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश स्तर पर प्रत्येक जनपद में जैव विविधता संरक्षण एवं पारिस्थितिकीय संतुलन में वेटलैण्ड की महत्वपूर्ण भूमिका के दृष्टिगत वेटलैण्ड के सर्वेक्षण, चिन्हांकन, संरक्षण एवं चिरंतर (सस्टेनेबुल) उपयोग हेतु जिला स्तरीय समिति का गठन वन एवं वन्य जीव अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-757/14--4-2009, दिनांक 25.09.2009 द्वारा किया गया है।

2- वर्तमान में आर्द्रभूमि पारिस्थितिकीय प्रणाली के दो मुख्य पारिस्थितिकी घटक भूमि और जल भारतीय संविधान के अनुसार राज्य के विषय के रूप में सूचीबद्ध होने की स्थिति में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबन्ध) नियम-2017 की अधिसूचना दिनांक 26.09.2017 के नियम बिन्दु-5 के अन्तर्गत निहित व्यवस्था के अनुसार वन एवं वन्य जीव अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-3143/14-4-2017 रिट(6)/2017, दिनांक 11.01.2018 द्वारा समान उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उ0प्र0 राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण का गठन मा0 वन मंत्री, उ0प्र0 सरकार की अध्यक्षता में किया जा चुका है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण की बैठक दिनांक 05.03.2018 में प्राधिकरण द्वारा की गयी संस्तुति के कम में Wetland (Conservation and Management)Rules 2017 की धारा-5(4) में राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण के लिए निर्धारित कृत्यों का पालन करने हेतु उपरोक्त शासनादेश दिनांक 25.09.2009 द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति को प्राधिकरण द्वारा अंगीकृत करने व उसके निर्देशानुसार पूर्व निर्धारित दायित्वों के अतिरिक्त निम्न दायित्वों की पूर्ति कराने का निर्णय लिया गया है-

1. जिले के सभी वेटलैण्ड्स की सूची तैयार करना।
2. Wetland (Conservation and Management Rules 2017 के तहत जिलों में अधिसूचित किये जाने वाले वेटलैण्ड्स की सूची तैयार करना।
3. वेटलैण्ड चिन्हित कर उनकी Zone of Influence का निर्धारण कर Brief Document तैयार कर प्राधिकरण के विचारार्थ प्रस्तुत करना।
4. जिले के वेटलैण्ड्स हेतु व्यापक डिजिटल सूची तैयार करना।
5. अधिसूचित वेटलैण्ड्स एव उनके Zone of Influence के भीतर विनियंत्रित एवं अनुज्ञात किये जाने वाले कार्य-कलापों की सूची तैयार करना।
6. अधिसूचित प्रत्येक वेटलैण्ड्स के लिए Integrated Management Plan तैयार करना।
7. अधिसूचित वेटलैण्ड्स के प्रबन्धन एवं संरक्षण का कार्य करना तथा सुसंगत अधिनियमों, नियमों और विनियमों का प्रवर्तन सुनिश्चित करना।
8. प्राधिकरण द्वारा सौपे गये अन्य कार्य।

4- उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीया,
29/5/18
(रेणुका कुमार)
प्रमुख सचिव।

My doc/ Brahm Jeet/Ucl/go

(32)

संख्या–730 (1) / 14–4–2018 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन ।
2. प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, मत्स्य विभाग, उ0प्र0 शासन ।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ।
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0, लखनऊ।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0 ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आशीष तिवारी)

विशेष सचिव,

कार्यालय सदस्य सचिव, राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक– 29 /26–11 (UPSWA)-06-2018 लखनऊ: दिनांक: अगस्त 29, 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक–सदस्य सचिव जिला स्तरीय वेटलैंड समिति, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जोनल मुख्य वन संरक्षक/समस्त मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक, समस्त वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक उत्तर प्रदेश।

(बिभाष रंजन), 29/8/2018

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

प्राधिकृत अधिकारी,

उ0प्र0 राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

NOTARY RAJENDRA PRASAD Notary, Adv. NB/2021 A.2 GOVT. OF INDIA

My doc/ Brahm Jeet/Hcl/go

उत्तर प्रदेश शासन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-4

संख्या-1171/ 81-4-2024

लखनऊ, दिनांक 15 अक्टूबर, 2024

कार्यालय ज्ञाप

प्रदेश में आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबन्ध) नियम, 2017 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण का गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण के सहयोग तथा प्रदेश के जनपदों में आर्द्रभूमियों के सर्वे, चिन्हांकन, संरक्षण तथा उन्हें चिरंत उपयोग हेतु बनाये रखने के उद्देश्य से जिला आर्द्रभूमि समिति का गठन किया जा चुका है।

इसी क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण द्वारा आर्द्रभूमि संरक्षण के प्रति ग्रामीणों में जागरूकता बढ़ाने, इनके संरक्षण के प्रति उनमें जिम्मेदारी का अहसास कराने, संरक्षण कार्यों में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने तथा आर्द्रभूमियों के प्रति उनमें स्वामित्व का बोध कराने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर "ग्राम आर्द्रभूमि समिति" के गठन का निर्णय लिया गया है।

1. ग्राम आर्द्रभूमि समिति का गठन-

प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में एक **'ग्राम आर्द्रभूमि समिति'** का गठन किया जायेगा, जिसकी संरचना निम्नवत है:-

1. ग्राम प्रधान-	अध्यक्ष
2. लेखपाल-	सदस्य-सचिव
3. स्थानीय विद्यालय के नामित प्रधानाध्यापक-	सदस्य
4. स्थानीय स्तर पर ऐसे सक्रिय गैर सरकारी संगठन- (जो आर्द्रभूमि विषयक प्रकरण में विभिन्न गतिविधियों के संचालन में सक्षम हों)	सदस्य
5. ग्राम स्तर पर सक्रिय स्वयं सहायता समूह के 01 नामित प्रतिनिधि	सदस्य
6. ग्राम सभा द्वारा चयनित / नामित 01 व्यक्ति जो वेटलैण्ड संरक्षण में रूचि रखते हों	सदस्य

जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला आर्द्रभूमि समिति द्वारा उक्तानुसार समिति का गठन, कार्य संचालन एवं पर्यवेक्षण तथा सतत अनुश्रवण किया जायेगा।

1. प्रत्येक ग्राम पंचायत में उक्तानुसार गठित समिति के संचालन हेतु जिला पंचायती राज अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा।

2. प्रत्येक ग्राम पंचायत में उक्तानुसार सदस्यों को नामित कर जिला पंचायती राज अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायतवार गठित समिति की सूचना जनपद के नोडल प्रभागीय वनाधिकारी / सदस्य-सचिव, जिला आर्द्रभूमि समिति के माध्यम से जिला आर्द्रभूमि समिति को प्रस्तुत की जायेगी।

3. ग्राम आर्द्रभूमि समिति के गैर सरकारी सदस्यों का कार्यकाल सामान्य तौर पर 02 वर्ष का होगा, जिन्हें विधि-विरूद्ध गतिविधियों में शामिल होने पर कभी भी हटाया जा सकेगा।
4. नामित गैर सरकारी सदस्यों को पुनः अधिकतम एक बार और नामित किया जा सकेगा।
5. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला आर्द्रभूमि समिति द्वारा उक्तानुसार समिति का गठन एवं कार्य संचालन तथा सतत अनुश्रवण किया जायेगा।

2. ग्राम आर्द्रभूमि समिति के अधिकार एवं दायित्व:-

उक्तानुसार गठित **ग्राम आर्द्रभूमि समिति के निम्नवत अधिकार एवं कार्य/दायित्व होंगे:-**

1-ग्राम पंचायत स्तर पर आर्द्रभूमियों की सूची तैयार करना।

2- ग्राम पंचायत स्थित सभी आर्द्रभूमियों को संरक्षित करना।

3-ग्राम पंचायत स्थित सभी आर्द्रभूमियों के पारिस्थितिक प्रणाली के कार्यकलापों (जैसे जल भण्डारण, भू-जल संभरण, बाढ़ प्रतिरोधण आदि) और मूल्यों (जैसे सांस्कृतिक, मनोरंजन आदि) को बनाये रखने या उनमें अभिवृद्धि किये जाने हेतु युक्तियुक्त उपयोग के सिद्धान्त के आधार पर संरक्षण एवं सम्वर्द्धन के लिए योजना तैयार करना।

4-आर्द्रभूमियों हेतु तैयार की गयी योजनाओं को ग्राम पंचायत विकास योजना में सम्मिलित करा कर योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु संसाधन की व्यवस्था सुनिश्चित करना।

5. आर्द्रभूमि संरक्षण के प्रति ग्रामीणों में जागरूकता बढ़ाने हेतु कार्यक्रम आयोजित करना।

6- प्रतिवर्ष 02 फरवरी को अन्तर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर सभी ग्राम पंचायतो में आर्द्रभूमि सम्बन्धी जनजागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कराया जाना।

7- आर्द्रभूमियों के मूल्यों और क्रियाकलापों के संबंध में हितधारकों और स्थानीय समुदायों के बीच जागरुकता के सम्वर्द्धन हेतु उपाय करना।

8- ग्राम पंचायत स्थित आर्द्रभूमियों की जैवविविधता को संरक्षित करना।

9- जिला स्तरीय आर्द्रभूमि समिति द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।

Signed by Manoj Singh
Date: 10-10-2024 18:41:36

(मनोज सिंह)
अपर मुख्य सचिव

NOTARY RAJENDRA ... Notary ... NK/2021/... GOVT. OF ...

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग/पंचायती राज विभाग/राजस्व विभाग/माध्यमिक शिक्षा विभाग/ बेसिक शिक्षा विभाग/सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ ।
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0 लखनऊ।
6. मुख्य वन संरक्षक, ईको विकास/सदस्य सचिव, उ0प्र0 राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण लखनऊ को इस निर्देश सहित प्रेषित कि कार्यालय ज्ञाप की प्रति स्वस्तर से समस्त सम्बन्धितों को तत्काल

उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

7. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
8. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ०प्र०।
9. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक, उ०प्र०।
10. समस्त जिला पंचायती राज अधिकारी, उ०प्र०।
11. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक/समस्त बेसिक शिक्षाधिकारी, उ०प्र०।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
रवि शंकर मिश्र
संयुक्त सचिव

NOTARY
RAJENDRA PRASAD
Notary, Advocate
NR/2021/...
GOVT. OF INDIA

ANNEXURE-(4)
(36)

संलग्नक 1

उत्तर प्रदेश शासन
वन एवं वन्य जीव अनुभाग-4
संख्या-3143/14-4-2017-रिट(6)/2017
लखनऊ, दिनांक, 11 जनवरी, 2018

कार्यालय ज्ञाप

आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबन्ध हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत "आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबन्ध) नियम-2017" की अधिसूचना दिनांक 26.09.2017 के बिन्दु-5 के अन्तर्गत निहित व्यवस्था के अनुसार "उ0प्र0 राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण" निम्नानुसार गठित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(i) मा0 मंत्री, वन एवं वन्य जीव विभाग, उ0प्र0 -- अध्यक्ष
(ii) कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन --उपाध्यक्ष
(iii) सचिव/प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन --पदेन सदस्य
(iv) सचिव/प्रमुख सचिव, वन एवं वन्य जीव विभाग, उ0प्र0 शासन --पदेन सदस्य
(v) सचिव/प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन --पदेन सदस्य
(vi) सचिव/प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन --पदेन सदस्य
(vii) सचिव/प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन --पदेन सदस्य
(viii) सचिव/प्रमुख सचिव, मत्स्य उत्पादन विभाग, उ0प्र0 शासन --पदेन सदस्य
(ix) सचिव/प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन --पदेन सदस्य
(x) सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन -- पदेन सदस्य
(xi) निदेशक, राज्य सुदूर संवेदी केन्द्र, उ0प्र0 -- पदेन सदस्य
(xii) सदस्य सचिव, राज्य जैव विविधता बोर्ड, उ0प्र0 -- पदेन सदस्य
(xiii) सदस्य सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उ0प्र0 -- पदेन सदस्य
(xiv) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय का अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0 -- पदेन सदस्य
(xv) आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी, जल विज्ञान, मत्स्यकी, भू-दृश्य योजना और सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र में से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट प्रत्येक का एक विशेषज्ञ
(xvi) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव/ मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उ0प्र0 --सदस्य सचिव

राजीव कुमार
मुख्य सचिव

संख्या-3143(1)/14-4-2017 तददिनाँक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- प्राधिकरण के समस्त सदस्य गण।
3- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त प्राधिकरण से संबंधित सभी सदस्यों को अपने स्तर से सूचित करने का कष्ट करें।
4- गार्ड फाइल

आज्ञा से,
(डॉ0 दीपक कोहली)
अनु सचिव

My Doc/Arora/Ua

ANNEXURE (5)
(37)

Wetland Catchment Map of Taal Baghel, Shravasti Forest Division

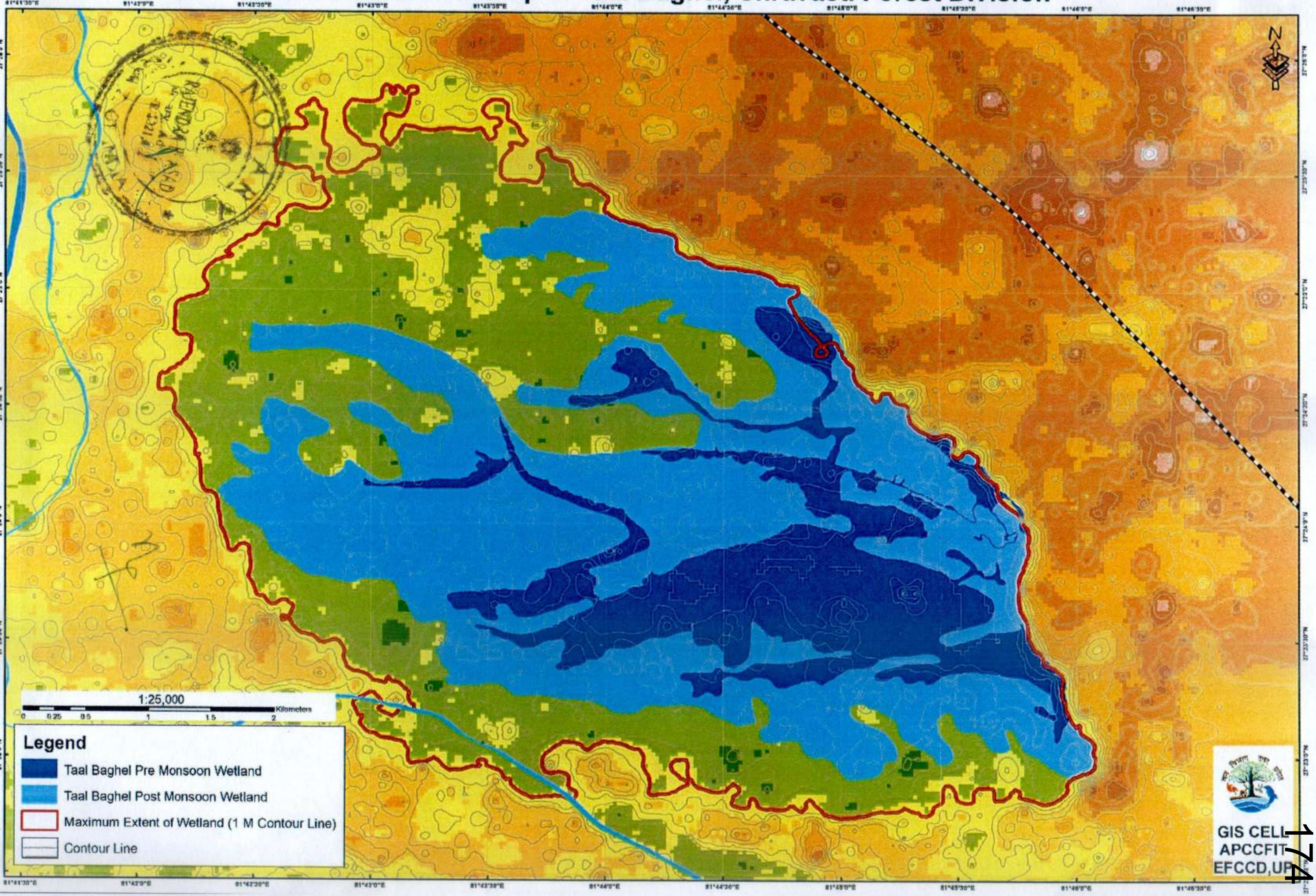

(38)

5701/73-4

Land Use / Land Cover Map in Catchment Area of Taal Baghel, Shravasti Forest Division

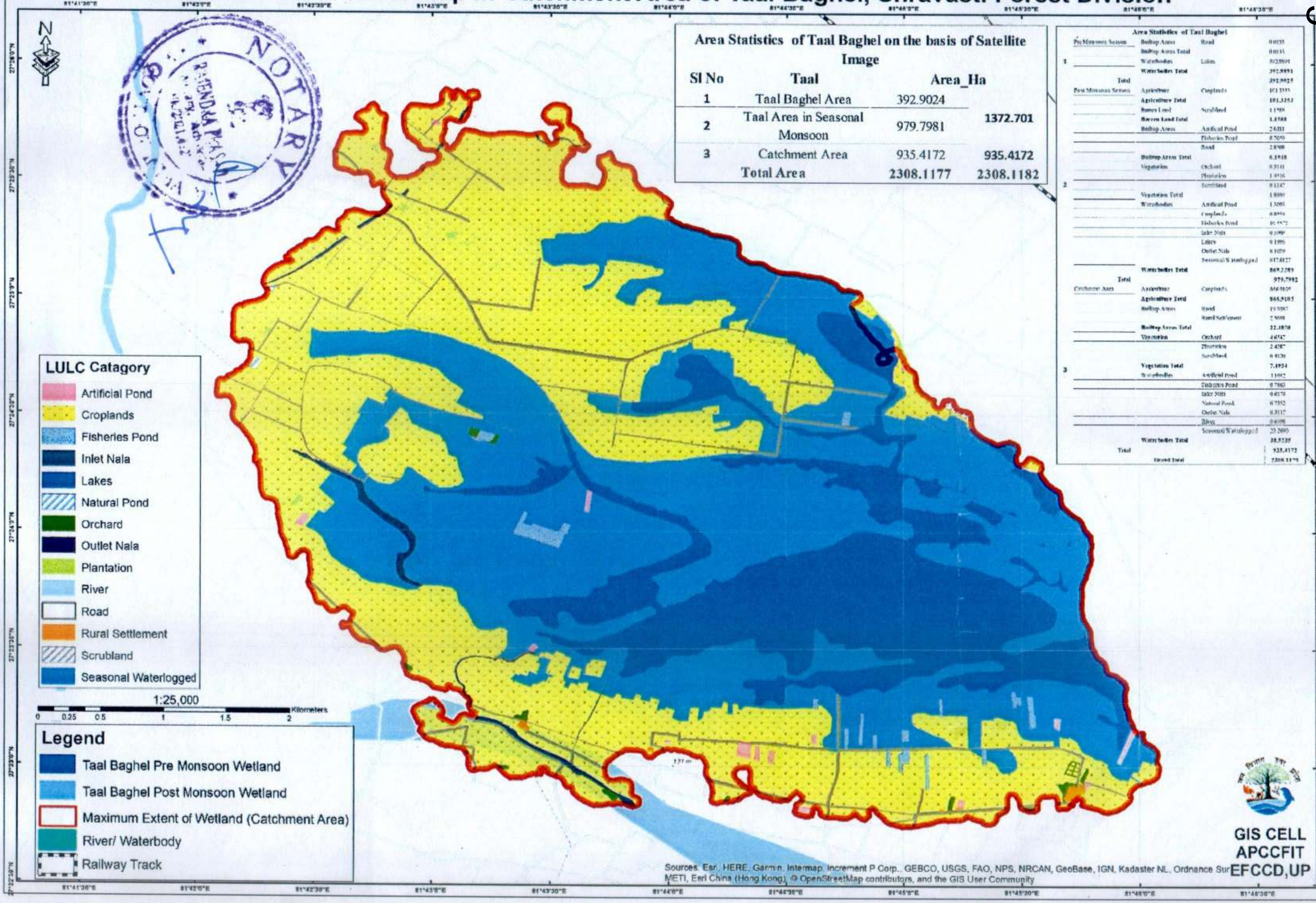

Area Statistics of Taal Baghel on the basis of Satellite Image

Sl No	Taal	Area_Ha	
1	Taal Baghel Area	392.9024	1372.701
2	Taal Area in Seasonal Monsoon	979.7981	
3	Catchment Area	935.4172	935.4172
	Total Area	2308.1177	2308.1182

Area Statistics of Taal Baghel

1	Pre Monsoon Season	Builtup Areas	Road	0.0035
		Builtup Areas Total		0.0035
		Waterbodies	Lakes	392.8991
		Waterbodies Total		392.8991
	Total			392.9025
2	Post Monsoon Season	Agriculture	Croplands	101.3353
		Agriculture Total		101.3353
		Barren Land	Scrubland	1.1588
		Barren Land Total		1.1588
		Builtup Areas	Artificial Pond	2.6381
			Fisheries Pond	0.7059
			Road	2.8908
		Builtup Areas Total		6.3948
		Vegetation	Orchard	0.3111
			Plantation	1.4516
			Scrubland	0.1147
		Vegetation Total		[illegible]
		Waterbodies	Artificial Pond	1.3095
			Croplands	0.8951
			Fisheries Pond	10.5572
			Inlet Nala	0.5990
			Lakes	0.1995
			Outlet Nala	8.1059
			Seasonal Waterlogged	817.6127
		Waterbodies Total		869.2289
	Total			979.7992
3	Catchment Area	Agriculture	Croplands	866.9105
		Agriculture Total		866.9105
		Builtup Areas	Road	19.5987
			Rural Settlement	2.5891
		Builtup Areas Total		22.1878
		Vegetation	Orchard	4.6547
			Plantation	2.4287
			Scrubland	0.4120
		Vegetation Total		7.4954
		Waterbodies	Artificial Pond	1.1052
			Fisheries Pond	0.7963
			Inlet Nala	0.6175
			Natural Pond	0.7352
			Outlet Nala	8.3117
			River	0.6098
			Seasonal Waterlogged	23.2095
		Waterbodies Total		38.5125
	Total			935.4172
	Grand Total			2308.11[illegible]

ANNEXURE(6)

(39)

स्पीड पोस्ट

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 3215 /7–4 (वेटलैण्ड), लखनऊ, दिनॉक, मई 26 ,2025

सेवा में

अपर निदेशक,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
भारत सरकार (वेटलैण्ड डिवीजन),
इन्दिरा पर्यावरण भवन,
जोर बाग, नई दिल्ली–110003

विषयः– केन्द्र पुरोनिधानित–"नेशनल प्लान फार कन्जरवेशन आफ एक्वेटिक ईको सिस्टम" योजना के अन्तर्गत (वित्तीय वर्ष 2025–26 से 2029–30 तक) ताल बघेल वेटलैण्ड के विकास हेतु इन्ट्रीग्रेटेड मैनेंजमेन्ट प्लान (IMPs) के सम्बन्ध में।

संदर्भः– भारत सरकार का पत्रांक–एफ0नं0 डब्ल्यु–6/3/2024–डब्ल्यु0टी0एल0, दिनॉक 09.10.2024

महोदय,

विषयक प्रकरण में इस कार्यालय स्तर से प्रेषित विषयक प्रस्ताव के सम्बन्ध में उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनॉक 09.10.2024 द्वारा मंत्रालय स्तर से निर्गत NPCA Guidelines 2024 के अनुसार परीक्षणोपरान्त पायी गयी कमियों को सूचीबद्ध कर प्रत्येक वेटलैण्ड के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही कराने की अपेक्षा की गयी थी। उक्त के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, श्रावस्ती वन प्रभाग, श्रावस्ती द्वारा ताल बघेल वेटलैण्ड के प्रबन्धन एवं संरक्षण हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 से 2029–30 तक की अवधि हेतु रु0 596.85 लाख मात्र की संशोधित पंचवर्षीय इन्ट्रीग्रेटेड मैनेंजमेन्ट प्लान (IMPs) तैयार कर उपलब्ध करायी गयी है। उक्त से सहमति उपरान्त मुख्य वन संरक्षक, (मध्य क्षेत्र), लखनऊ ने अपने पत्रांक–2353/32–1 (ईको पर्य0), दिनांक 19.05.2025 के माध्यम से वन संरक्षक, देवीपाटन वृत्त, उ0 प्र0 गोण्डा द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर परियोजना उपलब्ध करायी गयी है।

अतएव विषयक प्रकरण में भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक 09.10.2024 द्वारा उठाई गयी आपत्तियों के निराकरण के उपरान्त वन संरक्षक, देवीपाटन वृत्त, उत्तर प्रदेश, गोण्डा के पत्रांक–4626/1–1, दिनांक 09.05.2025 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा उपलब्ध करायी गयी बिन्दुवार आख्या व ताल बघेल वेटलैण्ड के प्रबन्धन एवं संरक्षण हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 से 2029–30 तक की अवधि हेतु रु0 596.85 लाख मात्र की संशोधित इन्ट्रीग्रेटेड मैनेंजमेन्ट प्लान (IMPs) की प्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

(अनुराधा वेमूरी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।